and necessary action is being taken to keep up sustained pressure on the militants, so that the fear of the gun can be reduced and the people can come out and participate in normal political and economic activities.

(c) Government is committed to holding elections in the State as soon as conditions conducive to a free and fair election are created. As a result of various initiatives taken so far, there are signs of activity and interest among various sections of the population to move forward in the direction of restoration of normalcy in the State.

Persons killed in Jammu and Kashmir

1088. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : SHRI JAGMOHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of persons killed and arms captured month-wise from 1st December, 1989 to November 15, 1992, in the terrorists related violence/crimes in the State of Jammu and Kashmir;

(b) out of those killed, what was the number of security/police personnel, terrorists /militants and innocent civilians, separately;

(c) how many deaths of innocent civilians were attributed to 'excesses' of the security/police forces, and details thereof and

(d) what steps have been taken by Government to end or reduce the threat to the lives of innocent civilians ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFATRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बम विस्फोटों के कारण मरने वाले व्यक्ति

1089. श्री राम नरेश यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो माह के दौरान वर्सों में हुए बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त पाए गए और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में विदेशी मिशनरी

1090. श्री राम नरेश यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी विदेशी मिशनरियां कार्यरत हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में इस प्रकार की कितनी मिशनरियां स्थापित की गई; और

(ग) अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार इन विदेशी मिशनरियों का ब्यौरा क्या है और ये देश में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-91 को भारत में 1647 देशी मिशनरी रह रहे/कार्य कर रहे थे ।

(ख) और (ग) वार्षिक आधार पर किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि लम्बे समय तक भारत में ठहरने वाले विदेशियों को विदेश जाने की मंजूरी दी जाती है और निवास बदलने की भी मंजूरी दी जाती है ।

बंगला देश के तटवर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ

1091. श्री राम नरेश यादव : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगला देश के तटवर्ती

क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्र में हमारे देश में निरन्तर घुसपैठ जारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और ?

(ग) पिछले दो वर्षों से आज तक घुसपैठ के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के बारे में भारत सरकार को जानकारी है ।

(ख) बंगलादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्न-लिखित सम्मिलित हैं :—

1. सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर गश्त और निगरानी गहन करना ;

2. बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण करना ;

3. सीमा पर तैनात किए गए सैनिकों को नाइटविजन डिवाइज, दूरबीन, गोगल्स, ट्विन टेलीस्कोप, हैण्ड-हैल्ड सर्च लाइट इत्यादि दिए गए हैं ;

4. नदी तटीय क्षेत्रों में सीमा पर गश्त के लिए देशी मोटर बोट उपलब्ध कराई गई है ;

5. भारत बंगलादेश सीमा की संवेदन-शील टुकड़ियों पर सड़क निर्माण और तार लगाने की परियोजना को तेज करना ;

6. प्रभावित राज्यों में, विदेशियों की घुसपैठ को रोकने की योजना और मोबाइल टास्क फोर्स को स्वीकृति देना ; और

7. असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में पहचान पत्र जारी करने की योजना प्रारम्भ करना ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पकड़े गए बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1991	83,868
1992 (अक्तूबर तक)	48,891

विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 में संशोधन

1092. श्री राम नरेश यादव :
श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में स्थित पर्यटक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी आई है; और

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने उपरोक्त आदेश को वापस लेने/संशोधित करने का अनुरोध किया है; यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सम्पूर्ण असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम की दक्षिणी सीमा से इनर लाइन तक सिक्किम का पूरा क्षेत्र तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं ।

(ख) जी नहीं । चूंकि असम, मेघालय, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में पर्यटकों की रूचि संबंधी अतिरिक्त स्थान विदेशी पर्यटक ग्रुपों के लिए खोले गए हैं या खोले जा रहे हैं इसलिए विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है ।